कमिश्नर आफिस
रीवा संभाग, रीवा म० प्र०)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

तुलसीराम मिश्रा पिता सुदर्शन राम मिश्रा उम्र 65 साल, पेशा खेती,
निवासी हिनौता, पो०बगढा, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म०प्र०)

------निगरानीकर्ता

बनाम

1- रामबिशाल पिता रामकृपाल उम्र 55 साल, पेशा खेती, निवासी हिनौता, तहसील सिरमौर, जिला रीवाम०प्र०

2- म०प्र०शासन द्वारा पटवारी हल्का बगढा 34, तहसील सिरमौर जिला रीवाम०प्र०

-----गैर निगरानीकर्तागण

R 1579-IV/08

आनंद त्रिपाठी
17/11/2008

Supdt. 17/11/08
Commissioner's office
Rewa Division
Rewa M. P.

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक-107/अपील/2007-2008 में पारितआदेश दिनांक 27-9-2008 तुलसीराम विरुद्ध रामबिशाल वगैरह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०संहिता के अधीन निगरानी याचिका

महोदय,

निगरानी के संक्षिप्त सार:-

मौजा हिनौता, जिला रीवा की आराजी नम्बर 155 रकबा 0.158हे. में आवेदक का पुस्तैनी मकान बना हुआ है। जिस पर आवेदक का कब्जा दर्ज न किये जाने के कारण तहसीलदार के न्यायालय में कब्जा अंकित किये जाने का आवेदन दिया जहां पर कब्जा दर्ज किये जाने का आदेश दे दिया गया लेकिन अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर आवेदक को सुनवायी का अवसर दिये बगैर एक पक्षीय आदेश पारित करवा लिया जिस पर अनुविभागीय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

प्रकरण कमांक निग–1579–चार–.2008 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश तुलसीराम / रामविशाल	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10 –02–2016	यह निगनारी अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 107 / अपील / 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2008 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री आनंद त्रिपाठी उपस्थित। उन्होंने उपस्थित होकर प्रकरण में संलग्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने का निवेदन किया है। आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं का अवलोकन किया गया एवं उन पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि निगराकार द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष सर्वे कमांक 155 रकवा 0.158 है. पर मकान बना होने के आधार पर कब्जा दर्ज किए जाने का संहिता की धारा 115–116 के तहत आवेदन का निगरानी ममो में उल्लेख किया गया है। आवेदक के आवेदन पत्र के आधार पर विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा पकरण कमांक 12 / अ–6–अ / 04–05 दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 29.3.06 से सर्वे कमांक 155 रकवा 0.158 के अंश रकवा 0.053 है. पर आवेदक का मकान बना होने के कारण कब्जा दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के उक्त कब्जा दर्ज किए जाने संबंधी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी जहां पर प्रकरण कमांक 183 / अ–6–अ / अपील / 05–06 में पारित आदेश दिनांक 23.4.07 से अपील स्वीकार की गयी। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अपर आयुक्त द्वारा अपने प्रकरण कमांक107 / अपील / 07–08 में पारित आदेश दिनांक 27.9.08 से यह अंकित करते हुए कि संहिता की धारा 115 के तहत राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर एवं 116 के तहत	

प्रकरण कमांक निग–1579–चार–.2008 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश तुलसीराम / रामविशाल	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

किसी व्यक्ति के आवेदन पर खसरा रोस्टर के समय हुई त्रुटि को एक वर्ष की समयावधि के अंदर सुधारा जा सकता है किन्तु प्रकरण में यह स्पष्तः अंकित नहीं किया गया कि खसरे में किस वर्ष में कब्जा इन्द्राज होना छूट गया है, ऐसी स्थिति में समयावधि निश्चित न होने से यह नहीं माना जा सकता कि तहसीलदार द्वारा जो कब्जा इन्द्राज का आदेश दिया गया है वह संहिता में निहित प्रावधानों के तहत दिया गया है या नहीं। वहीं तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से भी यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि विवादित भूमि के अंश रकवे पर खसरे एवं राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज था या उसके पूर्वजों का नाम अंकित था। इस संबंध में तहसीलदार द्वारा स्पष्टता अपने आदेश में नहीं की गयी है। तहसीलदार के आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा आवेदक के नाम नई प्रविष्टि दर्ज करने का आदेश दकर कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया गया है जो विधिविरूद्ध है। संहिता की उक्त धारा के तहत नवीन कब्जा एवं प्रविष्टि दर्ज करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इस धारा के तहत यदि कोई प्रविष्टि छूट जाती है तो उसे एक साल के अंदर पृविष्टि सुधार करने का आदेश तहसीलदार द्वारा दिया जा सकता है। नई प्रविष्टि संहिता की धारा 115–116 का सहारा लेकर नहीं की जा सकती।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखते हुए अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से अग्राहय की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

10.2.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य